प्रेस विज्ञप्ति

04.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने **मेसर्स नव भारत प्रेस (भोपाल) प्राइवेट लिमिटेड** के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 30.03.2024 को मध्य प्रदेश के सतना और सीहोर में स्थित 2.36 करोड़ रुपये की 10 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ।

ईडी ने मेसर्स नव भारत प्रेस (भोपाल) प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, एसपीई, बीएस और एफसी, नई दिल्ली द्वारा दायर आरोप पत्र (चार्ज शीट) के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला कि मेसर्स नव भारत प्रेस (भोपाल) प्राइवेट लिमिटेड ने अपने निदेशक सुमीत माहेश्वरी और अन्य के माध्यम से वर्ष 2004 के दौरान प्रेस के आधुनिकीकरण और मशीनरी की खरीद के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, गौतम नगर शाखा, भोपाल से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया था। हालाँकि, मशीनरी की खरीद और अन्य पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए जो ऋण राशि स्वीकृत की गई थी, उसे विभिन्न कंपनियों के बैंक खातों के माध्यम से भेज दिया गया था, जो संदीप माहेश्वरी (सुमीत माहेश्वरी के भाई) द्वारा नियंत्रित एनबी (ईएनबीईई) समूह की कंपनियों के कर्मचारियों के नाम पर थे।) जाँच के दौरान यह पाया गया कि माहेश्वरी परिवार (मैसर्स नव भारत प्रेस (भोपाल) प्राइवेट लिमिटेड के मालिक) ने विभिन्न कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत देनदारियों को निपटाने के उद्देश्य से ऋण राशि का दुरुपयोग किया और इस प्रकार, वितरित ऋण का गलत उपयोग किया, जिससे धोखाधड़ी हुई क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, गौतम नगर, भोपाल का रुपये 15.67 करोड़ का ऋण खाता एनपीए हो गया।

जाँच के दौरान, मध्य प्रदेश के सतना और सीहोर जिले में मेसर्स नव भारत प्रेस (भोपाल) प्राइवेट लिमिटेड और माहेश्वरी परिवार के सदस्यों के नाम पर कुल दस संपत्तियों की पहचान की गई।

पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था उक्त आदेश दिनांक 30.03.2024 के तहत मध्य प्रदेश के सतना और सीहोर में स्थित 2.36 करोड़ रुपये की इन 10 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।